न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूल सिंह यादव (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बरः— 30/2016

उनवान प्रकरण

भारतीय आदर्श विधा मंदिर धौलपुर जरिये व्यवस्थापक हितेन्द्र त्यागी, भारतीय आदर्श विघा मंदिर हाऊसिंग वोर्ड स्कूल धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर .... प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
2—लाखनसिह पुत्र श्रीपति जाति जाटव निवासी निहालगंज कोठी धौलपुर

.........................अप्रार्थीगण

(पुर्नस्थापन किये जाने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0) एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

उपस्थिति :—

प्राथी की ओर से :— **श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट**
अप्रार्थी सं01 की ओर से :— **श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक**
अप्रार्थी सं02 की ओर से :— **श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट**

निर्णय **दिनांक : 07.09.2018**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जाप्ता दीवानी उनवानी भारतीय आदर्श विद्या मंदिर धौलपुर बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार धौलपुर जिसका प्रकरण संख्या 3/2011 श्रीमान के यहाँ लम्बित था जिसमें दिनांक 30.9.2011 को वहस समायत हो चुकी थी। उपरोक्त उनवानी प्रा0पत्र में दिनांक 19.10.2011 को एक प्रार्थना पत्र आदेश—1 नियम—10 जा0दी0 पेश हुआ तथा पत्रावली जववा प्रा0पत्र के लिए नियत की गई थी। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रार्थी को कोई सूचना व जानकारी दिये प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस में दिनांक 17.1.2011 को खारिज करा दिया जो विधि विरूद्व है। प्रार्थी के

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

अभिभाषक को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र को खारिज कराने का कोई अधिकार नहीं था। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0 माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 4.5.2016 के आदेश की पालना सुनिश्चित करने बावत प्रस्तुत किया था। उपरोक्त प्रकरण की कार्यवाही व पैरोकारी करने के लिये श्री हरीश सक्सैना जो उस समय व्यवस्थापक थे आते थे परन्तु हरीश सक्सैना व्यवस्थापक के साथ आकस्मिक रूप से दुर्धटना घटित हो गई इसलिये वह संस्था से सम्बधित कार्यवाही व प्रकरण की जानकारी नहीं दे सके तथा संस्था को यह भी पता नहीं था कि उनके द्वारा उक्त प्रकरण की किस अभिभाषक के द्वारा पैरवी करायी जा रही है। तत्पश्चात संस्था में नवर्मित उप समिति बनी तब हितेन्द्र त्यागी व्यवस्थापक उक्त संस्था का नियुक्त किया गया जिनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को अग्रसर करने की कार्यवाही सौपी गयी तथा हितेन्द्र त्यागी प्रार्थी द्वारा माननीय जिला कलक्टर महोदय धौलपुर के यहाँ सुगम में शिकायत दर्ज करायी तब तहसीलदार धौलपुर के पत्रांक भू अभिलेख 2014 दिनांक 7.8.2014 प्रार्थी को प्राप्त हुआ जिसमें यह मालूम हुआ कि उपरोक्त प्रकरण श्रीमान जी के न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण के खारिज होने की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 24.2.2016 को हुयी इससे पहले प्रकरण के खारिज होने की कोई जानकारी प्रार्थी संस्था को नहीं थी। उक्त प्रकरण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0 पुनः नम्बर पर लेना चाहता है तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के आदेश की पालना सुनिश्चित कराना चाहता है। प्रार्थी के हित नियत है तथा न्याय की खातिर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाना अत्यन्त जरूरी है प्रार्थना पत्र दफा 5 म्याद अधिनियम संलग्न है। अदालत के आदेश से अप्रार्थी लाखनसिंह को पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आदेश तारीखी 7.11.2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण संख्या 3/11 उनवानी भारतीय आदर्श विद्या मंदिर बनाम राजस्थान राज्य को पुनः नम्बर पर लिये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि अप्रार्थी लाखनसिंह के पिता श्रीपति पुत्र धनपाल जाति जाटव के नाम दिनांक 26.5.1982 को खसरा नम्बर 70/398 व 68/397 खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जिसके विरूद्व माननीय जिला कलक्टर. धौलपुर द्वारा उक्त खसरा नम्बरान के बावत 14(4) भूमि आवटंन अधिनियम 1970 के तहत कार्यवाही कर अपने आदेश दिनांक 15.6.1992 से उक्त आवंटन निरस्त कर दिया। श्रीपति द्वारा जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 15.6.1992 से व्यथित होकर अपील संख्या 7/93 माननीय आर.ए.ए. भरतपुर के समक्ष उनवानी श्रीपति बनाम सरकार के नाम पेश की जिसे माननीय आर.ए.ए. ने अपने

ति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

आदेश दिनांक 20.7.1993 से श्रीपति की अपील खारिज करदी जिस पर श्रीपति ने अपील नम्बरी 31/1993 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की जो कि राजस्व मण्डल अजमेर में उक्त अपील को स्वीकार करते हुये अपने आदेश दिनांक 25.7.1997 से अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 15.6.1992 एंव आर.ए.ए. के आदेश दिनांक 20.7.1993 को अपास्त कर दिया अपीलार्थी के नाम खातेदारी अधिकारों को बहाल कर दिया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश की पालना में तहसीलदार धौलपुर द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 475 तारीखी 5.7.2006 को अप्रार्थी के पिता श्रीपति के नाम इन्द्राजात कर दिये है इसी आधार पर अप्रार्थी के पिता श्रीपति के इन्द्राजात आज भी बदस्तूर है। उसके बाद श्रीपति ने एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 7.7.2006 से अपने आराजी खसरा नम्बर 70/398 व 431/68 के खातेदारी अधिकारों को अप्रार्थी संख्या–2 लाखन सिंह के नाम अन्तरित कर दिया और तभी से अप्रार्थी विना किसी विध्न बाधा के उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा है।

वैसे भी प्रार्थी नामान्तकरण संख्या 128 के रिकार्ड को रीस्टोर कराना चाहता है वह कृषि भूमि के बावत है जो कि अब भी कृषि भूमि है और उक्त कृषि भूमि की किस्म परिवर्तित हो चुकी है और अब नगरपरिषद के नाम दर्ज है एवं उक्त विवादित आराजीयात में से एन.एच 11बी धौलपुर से करौली की पक्की सडक का निर्माण हो गया है। इस प्रकार विवादित आराजीयात व कृषि भूमि नहीं रही है और वर्तमान में रिकार्ड व मौके की स्थिति परिवर्तित हो चुकी है इसलिये प्रार्थी के नामान्तकरण संख्या 128 को पुर्नजीवित कराया जाना सम्भव नहीं है।

जब किसी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस में खारिज किया जाता है तो पैरवी करने वाले अधिवक्ता को खारिज कराने के पूर्ण अधिकार होते है इसलिये भी प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को पुर्नजीवित या रीस्टोर नहीं किया जा सकता है। जबकि वास्तविकता यह है कि जब प्रार्थी को यह ज्ञात हो गया है कि किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की कृषि भूमि को सामान्य जाति के व्यक्ति किसी संस्था के नाम अन्तरित करने धारा 42बी के तहत प्रतिबंधित किया गया है की जानकारी हो गई और अप्रार्थी ने अपने आपको उक्त प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना प्रस्तुत कर दिया तो तव प्रार्थी ने जानबूझकर एवं अपने अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण को नोट प्रेस में खारिज करा लिया जो प्रार्थी की पूर्ण जानकारी व ज्ञान में है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या–1 की प्रेषित पत्र के द्वारा दिनांक 7.8.2014 को लम्बित रहने की जानकारी हो गई थी उसके बावजूद लगभग एक वर्ष 6 माह तक प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने वावत कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई इसका कोई कारण अंकित नहीं किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र म्याद वाहर पेश किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये अपनी वहस में कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 68/397 पर नामान्तकरण संख्या 128 से विकयपत्र तारीखी 17.12.84 पंजीबद्व तारीखी 18.12.84 के द्वारा केतागण तुलसीराम कंचन व राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से श्रीपति से कय करके कब्जा प्राप्त किया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 128 स्वीकार हुआ। उक्त नामान्तकरण संख्या 128 रैफरेन्स 82 एलआरएक्ट के तहत उनवानी सरकार बनाम तुलसीराम कंचन प्रकरण संख्या 128/94 में आदेश तारीखी 25.6.96 द्वारा नामान्तकरण संख्या 128 को निरस्त करने के आदेश देते हुये रैफरेन्स राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्वीकार किया। नामान्तकरण संख्या 265 से उक्त आराजी सिवायचक दर्ज करदी गई। उक्त आदेश के खिलाफ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 6440/1998 की गई जो दिनांक 4.5.2006 को स्वीकार हुई तथा न्यायालय श्रीमान का आदेश 25.6.96 व राजस्व मण्डल अजमेर का आदेश 5.2.97 निरस्त कर दिये गये तथा जो पूर्व के इन्द्रांजात तुलसीराम कंचन आदर्श विधा मंदिर के पुनः दर्ज करने बावत हुआ। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश तारीखी 4.5.2006 की पालना हेतु न्यायालय श्रीमान में प्रार्थना पत्र 144 जा0दी0 पेश हुआ जिसमें वहस भी अंतिम 30.9.2011 को हो चुकी थी। लाखनसिंह जिसका कोई स्वत्व व अधिकार नहीं ने एक प्रा0पत्र आदेश–1 नियम–10 सीपीसी का पेश किया तथा इसके बाद उक्त प्रार्थना पत्र 3/11 बावत धारा 144 सीपीसी को बिना कोई सूचना दिये प्रार्थी के बकील ने '' कोई हिदायत पैरवी नहीं होने '' का लिखकर दिनांक 17.1.2011 को प्रार्थी को सूचना दिये वगैर खारिज करा दिया। जबकि प्रार्थी को आश्वासन बकील साहव ने दिया था कि जब जरूरत होगी बुला लिया जावेगा परन्तु बकील साहव ने कभी कोई सूचना तारीख पेशी की नहीं दी। उक्त प्रकरण में हरीश सक्सैना एडवोकेट पैरवी के लिये आते थे जिनकी आकस्मिक दुर्धटना हो गई थी तथा वे चलने फिरने से असमर्थ रहे तथा प्रकरण की जानकारी नहीं रही न उन्हें वकील साहव ने कोई सूचना दी। जब नई समिति बनी उक्त प्रकरण के बारे में जानकारी चाही तथा इस प्रकरण के वारे में सुगम के माध्यम से जिला कलक्टर महोदय से इस प्रकरण की जानकारी चाही तो तहसीलदार ने दिनांक 7.8.2014 को जबाव दिया कि प्रार्थना पत्र 144 जा0दी0 न्यायालय में विचाराधीन है कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई तथा काफी प्रयास करने पर दिनांक 17.11.11 प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है की जानकारी दिनांक 24.2.16 को जानकारी हुई तथा उक्त प्रा0 पत्र 144 जा0दी0 को पुनः नम्बर पर लेने के लिये 25.2.2016 को ही प्रस्तुत कर दिया जो जानकारी से अन्दर अवधि रहा। उक्त प्रकरण में बकील साहव की गलती की बजह से कोई पक्षकार दण्डित नहीं किया जा सकता है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर आर डी 1994 पेज 742, आर आर डी 1993 पेज 579 व ए आई आर 1981 पेज 1400 की न्यायिक नजीरें पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी वहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 128 के रिकार्ड को रीस्टोर कराना चाहता है वह कृषि भूमि के बावत है जो कि अब भी कृषि भूमि है और उक्त कृषि भूमि की किस्म परिवर्तित हो चुकी है और अब नगरपरिषद के नाम दर्ज है एवं उक्त विवादित आराजीयात में से एन.एच 11बी धौलपुर से करौली की पक्की सडक का निर्माण हो गया है। इस प्रकार विवादित आराजीयात व कृषि भूमि नहीं रही है और वर्तमान में रिकार्ड व मौके की स्थिति परिवर्तित हो चुकी है इसलिये प्रार्थी के नामान्तकरण संख्या 128 को पुर्नजीवित नहीं किया जा सकता। जब किसी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस में खारिज किया जाता है तो पैरवी करने वाले अधिवक्ता को खारिज कराने के पूर्ण अधिकार होते है इसलिये भी प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को पुर्नजीवित या रीस्टोर नहीं किया जा सकता है। जबकि वास्तविकता यह है कि जब प्रार्थी को यह ज्ञात हो गया है कि किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की कृषि भूमि को सामान्य जाति के व्यक्ति किसी संस्था के नाम अन्तरित करने धारा 42बी के तहत प्रतिबंधित किया गया है की जानकारी हो गई और अप्रार्थी ने अपने आपको उक्त प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना प्रस्तुत कर दिया तो तब प्रार्थी ने जानबूझकर एवं अपने अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण को नोट प्रेस में खारिज करा लिया जो प्रार्थी की पूर्ण जानकारी व ज्ञान में है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या–1 की प्रेषित पत्र के द्वारा दिनांक 7.8.2014 को लम्बित रहने की जानकारी हो गई थी उसके बावजूद लगभग एक वर्ष 6 माह तक प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने बावत कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई इसका कोई कारण अंकित नहीं किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र म्याद वाहर पेश किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जाप्ता दीवानी उनवानी भारतीय आदर्श विद्या मंदिर धौलपुर बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार धौलपुर प्रकरण संख्या 3/2011 लम्बित था जिसमें दिनांक 30.9.2011 को वहस समायत हो चुकी थी। उपरोक्त उनवानी प्रा0पत्र में दिनांक 19.10. 2011 को एक प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 जा0दी0 पेश हुआ तथा पत्रावली जवाब प्रा0पत्र के लिए नियत की गई थी। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रार्थी को कोई सूचना व जानकारी दिये प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस में दिनांक 17.11.2011 को खारिज करा दिया। प्रार्थी के अभिभाषक को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र को खारिज कराने का कोई अधिकार नहीं था। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0 माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 4.5.2016 के आदेश की पालना सुनिश्चित करने बावत प्रस्तुत किया था। उक्त प्रकरण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा0दी0 पुनः नम्बर पर लेना चाहता है तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के आदेश की पालना सुनिश्चित कराना चाहता है। प्रकरण में प्रार्थी के हित नियत है। उक्त प्रकरण

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

में बकील साहब की गलती की बजह से कोई पक्षकार दण्डित नहीं किया जा सकता है। न्यायहित में प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाना हम उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आदेश तारीखी 17.11.2011 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण संख्या 3/11 उनवानी भारतीय आर्दश विद्या मंदिर धौलपुर बनाम राजरथान राज्य को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। उक्त प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जावे। उक्त प्रा0पत्र फैसल सुमार होकर वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner